न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 113/2020
सीसीएमएस : 2020/00254

अनिल भादू बनाम जगदीश आदि
अन्तर्गत धारा 88–53–192–92ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री परविन्द्र बिश्नोई, वकील वादी
2. श्री राजाराम धारणियां, वकील प्रतिवादी (प्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी</u>

–: निर्णय प्रार्थना पत्र :–

दिनांक : 15.02.2021

प्रार्थी जगदीश(प्रतिवादी सं. 1) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण वाद पत्र के मामले की परिस्थितियां को भलीं प्रकार से सुस्पष्ट नहीं कर रहा. हैं वाद पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं हैं कि जगदीश के नाम से दर्ज 7.604है. खातेदारी भूमि किस तरह से पैतृक सम्पत्ति हैं। प्रतिवादी जगदीश के पास विवादित भूमि कहां से आई, किससे आई कैसे आई तथा किस प्रकारसे विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति हैं। सुस्पष्ट नहीं हैं। तथा ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश किया गया हैं। ऐसी स्थिति में वाद पत्र को आरमी से ही खारिज किया जाना न्यायसंगत हैं। प्रस्तुत वाद पत्र में वाद हेतुक या वादकरण का जिक्र तक नहीं किया हैं। वादी ने वाद पत्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि जगदीश की खातेदारी भूमि में वादी का एक निश्चित हिस्सा का हक है और इस हक के आधार पर उसके विवादित भूमि प्राप्त करने का वादकरण या वाद हेतुक प्राप्त हैं। इसके अलावा वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वादी ने तथ्य प्रकट किया हैं कि प्रतिवादी जगदीश उसके दादा है विधि में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि पिता के जीवित होते, दादा के नाम की भूमि पोता को प्राप्त होगी। वादी के कथनानुसार भूमि को पैतृक माना भी जाता है तो भी विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि सर्वप्रथम जगदीश के तीन पुत्रों व एक पुत्री को अर्थात 1/5 हिस्सा में प्रत्येक को प्राप्त होगी और फिर 1/5 हिस्सा में वादी को अपने पैतृक हिस्सा अर्थात 1/3 हिस्सा के रूप में मिलेगी। यह सब करने के लिए संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर भी दिया जावेगा परन्तु प्रस्तुत वाद में वादी ने किसी भी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार हीं नहीं बनाया है विधिक प्रावधानों के अनुसार विवादित सम्पत्ति दादा से छलांग लगाकर पोता को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। वाद पत्र वाद हेतुक या वादकरण प्रकट नहीं करता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति हैं। प्रतिवादी जगदीश द्वारा अपने जीवनकाल में कोई स्वंय के नाम कोई कृषि भूमि खरीद नहीं की। दिनांक 01.09.1952 को प्रतिवादी जगदीश के नाम मु.नं. 28 व 37 में 50 बीघा नहरी भूमि पारिवारिक सम्पत्ति के रूप में हिस्सा में आई थी। इसी प्रकार प्रतिवादी के भाई बलराज व सुलतान को भी प्रत्येक को 49 बीघा 10 बिस्वा कुल 99 बीघा तथा प्रतिवादी के पिता गाजीराम के नाम 62 बीघा 13 बीस्वा भूमि उनके पास शेष रही। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति के जरिये प्रतिवादी के पक्ष में रिकार्ड में दर्ज करवाई गई तथा इससे पूर्व भी गाजीराम पुत्र जीवनराम के नाम 211 बीघा 13 बिस्वा भूमि रिकार्ड में थी। राजस्व डिक्री 04.02.1972 के जरिये पैतृक सम्पत्ति का आपस में तबादला किया गया। प्रतिवादी की माता नोहरादेवी द्वारा दिनांक 17.08.1971 को कुछ भूमि खरीद की गई थी तथा वर्ष 1972 की उंक्त डिक्री के अनुसार नोह[illegible] 45 [illegible] भूमि जरिये डिक्री प्राप्त हुई। वाद हेतुक का विवरण स्पष्ट रूप से वाद पत्र में [illegible] वादपत्र में वादी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया हैं कि [illegible] की भूमि का विभजन सहमति अनुसार कर दिया था [illegible] परिवार के सदस्त अपनी अपनी भूमि पर कब्जा काश्त [illegible] तथा इसमें 10.127है. भूमि रामेश्वरलाल पुत्र जगदीश के पास तथा 10.127है. भूमि महेन्द्र पुत्र [illegible]श के पास कब्जा काश्त में हैं तथा प्रतिवादी द्वारा अपनी जवाबदेही ना हेकर उक्त तथ्य को [illegible] स्वीकार किया हैं तथा इसी अनुक्रम में प्रतिवादी द्वारा पारिवारिक हुए बंटवारे में एक बन्द वसीयत श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के कार्यालय में श्रीमान् जिला कलक्टरमहोदय के समक्ष प्रतिवादी की माता नोहरा देवी व जगदीश द्वारा दिनांक 06.09.2002 को की थी। जिसमें प्रतिवादी जगदीश द्वारा रायसिंह के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.04.08 17:02:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

उक्त वादग्रस्त भूमि चक 81आरबी के खाता सं. 27/13 की 5.060है. की वसीयत भी वादी के पिता रायसिंह के पक्ष में करवाई थी जो दिनांक 06.09.2002 को रसीद सं. 3/19414 को करवाइ गई थी परन्तु प्रतिवादी के मन में बेईमानी आने के कारण दिनांक 21.08.2019 को तथकथित वसीयत दिनांक 06.09.2002 को प्रतिवादी द्वारा वापिस प्राप्त कर ली गई। यदि वाद पत्र में पक्षकारों का असंयोजन है तो वादी को यह विधिक अधिकार है कि वह वाद पत्र में अन्य पक्षकारों को आवश्यक पक्षकार बना सके। वादी द्वारा वाद पत्र विधि अनुसार पेश किया गया हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वाद हेतुक व वाद कारण स्पष्ट रूप से वर्णित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवदेन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी(प्रतिवादी) ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा की खातेदार भूमि हैं। वादी खातेदार नहीं हैं, इसलिए धारा 188 आरटीए के तहत वाद पेश करने का अधिकारी नहीं हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वाद कारण एवं वाद हेतुक का स्पष्टीकरण उल्लेख नहीं किया हैं। वादी द्वारा दावा कब्जा के आधार पर पैतृक सम्पत्ति में अधिकारों की घोषणा का पेश किया हैं। पैतृक भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। प्रतिवादी अभी जीवित हैं। यदि भूमि पैतृक मान ली जाए तो भी प्रतिवादी के 4 वारिस हैं, जिस अनुसार वादी के पिता का भूमि में 1/5 हिस्सा बनता हैं। वाद पत्र न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी(प्रार्थी) द्वारा प्रार्थना पत्र केवल वाद पत्र में देरी एवं उलझाव के लिए पेश किया हैं। वादी द्वारा वाद पत्र में वाद हेतुक लिखा गया हैं। भूमि पैतृक हैं जो की साक्ष्य स्तर पर साबित की जानी हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवदेन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश की।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाया गया तथ्य कि वाद विधि द्वारा वर्जित है, चूंकि वादी द्वारा जानबूझकर जगदीश के सभी पुत्रों को पक्ष्झकार नहीं बनाया गया हैं। यदि वादवर्णित सम्पत्ति पैतृक है, तो वादी ने मात्र अपने दादा को पक्षकार बनाकर दावा पेश किया हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व अन्य विधिक प्रावधानों में दादा के जीवित रहते विवादित भूमि सीधे ही छलांग लगार पोते को प्राप्त नहीं हो सकती। यह तथ्य प्रस्तुत वाद में भी लागू होता हैं। वादी ने स्पष्टतया वाद में अपने दादा जगदीश के चार पुत्रों का उल्लेख किया है, परन्तु उसने कहीं भी ऐसा कोई कारण या वादहेतुक स्पष्ञ नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित सम्पत्ति यदि पैतृक है तो यह सीधे ही वादी जो कि पोता है, को कैसे प्राप्त होगी।

यदि वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक भी है तो भी वादी ने वाद पत्र के अनुतोष क में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादी के अलावा किसी अन्य को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अंतरण न करने का जो अनुतोष चाहा हैं, वह भी विधिपूर्ण नहीं हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि का खातेदार जगदीश अभी जीवित है अतः उसके राज. काश्त. अधिनियम में एक खातेदार को प्राप्त सभी अधिकार(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 31 से 37, 39 व 40, 41 से 47 आदि) प्राप्त हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति यदि पैतृक हैं तो उसमें जगदीश के भी पुत्र पुत्रियों पत्नी आदि के भी हक हिस्से निहित है। मात्र अनिल(पोते) द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पत्ति की मांग करना न्यायोचित व विधिक प्रावधानों के तहत उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रतिवादी(प्रार्थी) के विरूद्ध वादी ने जो धारा 92ए के तहत व्यादेश की मांग की है, इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा आरएलडबल्यू 2018(2) Bodu Ram Meena vs Ganesj Regar pg. 1218 Citation प्रस्तुत की गई हैं। यह रूलिंग इस वाद में चस्पा होती हैं। वादी अभी खातेदार काश्तकार नहीं हैं।

यह तथ्य भी विधिपूर्ण हैं कि वादी ने जगदीश के पुत्रों आदि को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि वादी को उनके विषय में पूर्व से जानकारी थी। अतः वादी स्पष्टतः ही क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्राथी(प्रतिवादी) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.04.08 17:02:26 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं.– 113 / 2020
जी.सी.एम.एस. : 2020 / 00254

1. अनिल भादू पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी 79 आरबी ए(भादवांवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0

–:वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र गाजीराम जाति जाट निवासी 79 आरबी ए(भादवांवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53–192–92ए आर टी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक:–15.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादी, श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:–

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी खारिज किया जाता हैं।"

डिक्री आज दिनांक 15.02.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.04.08 17:02:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner